वैक्सीन उत्पादन में तेजी

भारत को कोवैक्सीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स छोड़ना चाहिए या फिर भारत बायोटेक से खरीद कर वैक्सीन बनाने का तरीका अन्य संभावित वैक्सीन उत्पादक कंपनियों से साझा करना चाहिए। ऐसा करने से दुनिया भर में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की लाइन लग जाएगी।

मनोज शाह ।।

कोरोना महामारी से संघर्ष के इस असामान्य दौर में अमेरिकी सरकार का वैक्सीन के मामले में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़ी सुरक्षा छोड़ने को राजी होना बड़ी बात है। अमेरिका के बाद यूरोपीय समुदाय (ईयू) ने भी इसकी तैयारी दिखाई है। ध्यान रहे, डब्ल्यूटीओ के मंच पर पिछले साल जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था तो इन सबने उसका विरोध किया था। आज भी वैक्सीन विकसित करने वाली बड़ी–बड़ी कंपनियां इस फैसले के खिलाफ हैं। लेकिन पूरा विश्व आज जिस तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, उसे देखते हुए वैक्सीन को जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना पहली जरूरत है। अमेरिका और ईयू का इस मसले पर अपना रुख बदलना इस मकसद में सहायक हो सकता है। हालांकि प्रक्रियागत जटिलता के चलते अभी इस फैसले के तार्किक परिणति तक पहुंचने में वक्त लगने वाला है, लेकिन यह फैसला लागू होने से इतना जरूर हो जाएगा कि दुनिया भर की फार्मास्युटिकल और वैक्सीन उत्पादक कंपनियां किसी तरह की मुकदमेबाजी की आशंका के बगैर टीका बनाना सीख सकेंगी। स्वाभाविक रूप से टीके के उत्पादन और उसकी उपलब्धता पर इसका पॉजिटिव असर होगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ के मंच पर यह मामला किस रफ्तार से और कितना आगे बढ़ता है, यह एक बात है। ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि जो देश इस पर सहमत हैं वे अपने स्तर पर इस फैसले को लागू करने और उसके मुताबिक वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या कर सकते हैं। चूंकि भारत इस मसले को उठाने वाले शुरुआती देशों में शामिल रहा है, इसलिए निगाहें उस पर भी टिकी हैं। भारत को कोवैक्सीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स छोड़ना चाहिए या फिर भारत बायोटेक से खरीद कर वैक्सीन बनाने का तरीका अन्य संभावित वैक्सीन उत्पादक कंपनियों से साझा करना चाहिए। यह समझना गलत है कि ऐसा करने से दुनिया भर में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की लाइन लग जाएगी। इसके लिए पैटेंटेड सूचनाएं काफी नहीं हैं। उनके अलावा भी बहुत सारी जानकारी चाहिए जो उन्हीं कंपनियों के पास है जो किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया से जुड़ी रही हैं। सूचनाओं के अलावा वैक्सीन बनाने में लगने वाली सामग्रियों और उपकरणों की उपलब्धता का सवाल भी है जिससे यह तय होगा कि कहां कौन वैक्सीन का कितना उत्पादन कर पाएगा।

बहरहाल, यह अच्छी बात है कि दुनिया के प्रमुख देश महामारी की चुनौती के मद्देनजर बौद्धिक संपदा के स्वामित्व की संकीर्णता से ऊपर उठने में सफल रहे हैं। इससे जहां वैक्सीन उत्पादन में तेजी आने की संभावना बढ़ी है वहीं यह उम्मीद मजबूत हुई है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां वायरस के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आवश्यक होने पर आगे भी संकीर्ण हितों से ऊपर उठने का जज्बा दिखाएंगी। किसी भी बड़ी लड़ाई में कामयाबी की यह अलिखित शर्त होती है।

घनघोर तप

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

शिव ने कहा, "अब रहा काम की बात तो तुम सबसे पहले सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है।" ऐसा कहकर शिव ने विष्णु भगवान को वेदों का ज्ञान प्रदान किया इसके बाद भगवान विष्णु शिवाज्ञा का पालन करके घनघोर तप करने लगे। शिव पुराण में वर्णन है कि घनघोर तपस्या के प्रभाववश भगवान विष्णु के श्रीअंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा आकाश व्याप्त हो गया फिर भगवान विष्णु स्वयं उस जल में शयन करने लगें। जिस कारण वे नारायण कहे जाते हैं। नारायण के अलावा उस समय और कोई नहीं था। उसके बाद भगवान नारायण से चौबीस तत्व उत्पन्न हुए जिन्हें मिलाजुला कर प्रकृति कहा गया है जिससे रचना होती है । उन चौबीस तत्वों को ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए।

संपादकीय

हल्दी, नीम और बासमती

बड़ी कोशिशों के बाद भारतीय वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 32 संदर्भ प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप युनाइटेड स्टेट्स के पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस को उस पेटेंट को खारिज कर देना पड़ा। इसी तरह अमेरिका ने नीम को भी पेटेंट कर दिया। वर्ष 1997 में इसी प्रकार धोखाधड़ी से बासमती राइस पर पेटेंट दे दिया गया था जिसके फलस्वरूप अमेरिकी कंपनी राइस टेक इंक को सुगंधित चावल को बासमती कहने का और उसे भारत के बाहर उगाने का अधिकार मिला था। कड़े विरोध के फलस्वरूप ये पेटेंट खारिज किए गए। पेटेंट कानून के दुरुपयोग के हाल के भी कई उदाहरण हैं। छल से ऐसी चीजों का भी पेटेंट करवा लिया गया जो पारंपरिक ज्ञान के अंतर्गत आती हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कानून के तहत उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती। हल्दी एक जड़ी–बूटी और भोज्य पदार्थों में मसाले के तौर पर भारत में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती रही है। सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है। हल्दी रक्त को शुद्ध करने के लिए भी जानी जाती है। इसके साथ ही त्वचा के संक्रमणों को भी दूर करती है और एक रंग के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है। बहरहाल, पेटेंट के विभिन्न पहलुओं के पक्ष–विपक्ष में बहस लंबी चल सकती है, लेकिन इस दौरान यह जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोविड–19 के खिलाफ जंग पेटेंट संबंधी नियमों के कारण कमजोर न पड़ने लग जाए।

भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य विकासशील देश मांग कर रहे हैं कि कोविड–19 से संबंधित दवा उपकरणों और टीकों के मामले में पेटेंट से जुड़े प्रावधानों में छूट दी जाए।

जनस्वास्थ्य की सुरक्षा

सुधांशु रंजन।।

वर्ष 1903 में क्यूरी दंपति ने रेडियोधर्मिता पर महत्वपूर्ण खोज की और ए. हेनरी बैकेरल के साथ भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार साझा किया। इसके तुरंत बाद यह पाया गया कि कैंसर के इलाज में रेडियम बहुत प्रभावी होता है, लेकिन उसकी लागत 1.5 लाख डॉलर प्रति ग्राम पड़ती थी। ऐसे में क्यूरी दंपति के दोस्तों और शुभचिंतकों ने उन्हें सुझाव दिया कि युरेनियम के खनन की पद्धति को पेटेंट करा लें, परंतु दंपति ने अपनी खोज को पूंजी में बदलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 'रेडियम दया का एक उपकरण है और पूरी मानवता का इस पर अधिकार है।'वर्तमान में वैश्विक महामारी की वजह से पेटेंट के औचित्य पर बहस शुरू हो गई है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य विकासशील देश मांग कर रहे हैं कि कोविड–19 से संबंधित दवा उपकरणों और टीकों के मामले में पेटेंट से जुड़े प्रावधानों में छूट दी जाए। जर्मनी जैसे देश, जो छूट के खिलाफ हैं, कहते हैं कि इससे अन्वेषक हतोत्साहित होंगे। यह इकलौता तर्क है जो शुरू से पेटेंट के पक्ष में दिया जा रहा है।

जब 15वीं शताब्दी में वेनिस में निर्णय लिया गया कि नए अन्वेषक सरकार को बताकर अपनी खोज को सुरक्षित रख सकेंगे और यह

सुनिश्चित कर सकेंगे कि कोई दूसरा उस पर अपना हक न जमा ले, तभी से 'पेटेंट' का सिद्धांत विवादों में उलझा हुआ है। लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों से दुनिया स्वास्थ्य से संबंधित अपातकालीन स्थिति झेल रही है। वैसे ट्रिप्स समझौते में भी मानव सुरक्षा अधिकार से संबंधित प्रावधान हैं। इसके अनुच्छेद 8 के अनुसार सदस्य राष्ट्र अपने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अनुच्छेद 27 के तहत अन्वेषक अपनी खोज की प्रक्रिया और उत्पाद को पेटेंट करा सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 27(2) ऐसी खोज या उत्पाद को पेटेंट करने से इनकार करता है जो वनस्पति, पशु और मानवता के स्वास्थ्य संबंधी हितों के विरुद्ध हों।

इसके अलावा वर्ष 2001 में दोहा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक विशेष घोषणा की गई, जिसका मकसद संशयों को दूर करना था ताकि सरकारें जन स्वास्थ्य सिद्धांतों को लागू कर सकें। दोहा घोषणा से यह साफ कर दिया गया कि कोई भी सदस्य देश अगर अपने जन स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए समुचित उपाय करता है, तो उसे ट्रिप्स समझौते की वजह से रोका न जाए। जो अपवाद ट्रिप्स समझौतों में दिए गए हैं, वे इस पैंडेमिक में भी लागू न किए जाएं तो उनका होना ही फालतू है।

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट पर बहस करते हुए याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जनहित में खोज की है, ना कि पूंजी बनाने के लिए। क्यूरी दंपति अपवाद नहीं हैं। एलेग्जेंडर फ्लेमिंग ने तो श्रेय लेने में भी सावधानी बरती। उन्होंने हमेशा यह साफ किया कि पेनिसिलिन उनकी खोज है, आविष्कार नहीं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपने फायदे के लिए पेटेंट का प्रयोग कर मानवता पर कहर ढा दिया। थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे आविष्कारक थे, जिन्होंने हजारों अमेरिकन पेटेंट अपने नाम करवा रखे थे। वह अपने फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मूविंग पिक्चर कैमरे का भी आविष्कार किया था। वास्तव में उन्होंने हॉलिवुड की शुरुआत से पहले ही अमेरिकी फिल्म उद्योग में अपना एकाधिकार जमा लिया था।

अष्टयोग-5049

	3		4	5		
2	30	7	31		34	2
1			3		7	
	28	6	31	6	39	3
4		1			5	7
3	30		32	7	34	
	5		6		2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5048 का हल

2	3	6	4	1	7	5
7	30	2	25	2	34	4
4	5	1	3	6	7	2
6	28	5	35	3	39	6
1	2	4	6	7	5	3
5	30	3	42	5	34	7
3	5	7	6	4	2	1

Jagrutidaar.com, Bangalore

अपना ब्लॉग — हल्दी की उपयोगिता को पेटेंट

मोहन। न्यू जर्सी में स्थापित उनकी प्रयोगशाला को विश्व फिल्म उद्योग की राजधानी कहा जाता था। फिल्म उद्योग में प्रयोग हुए हर एक उपकरण का उन्होंने पेटेंट करा लिया था। उन्होंने मोशन पिक्चर्स पेटेंट कंपनी की स्थापना की थी जो एडिशन ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। अधिकतर फिल्म निर्माण कंपनियां ट्रस्ट के नियमों के अनुसार ही काम करती थीं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि फिल्म की समय अवधि 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगी और फिल्म के नायक–नायिकाओं के नाम नहीं दिए जाएंगे। एडिसन को डर था कि अगर दर्शक नायक–नायिकाओं के नाम जान जाएंगे तो वे प्रसिद्ध हो जाएंगे। शायद एडिसन यही सोचते थे कि शोहरत उनका ही एकाधिकार है। फिर भी वर्ष 1995 में अमेरिका स्थित मिसिसिपी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र ने जख्म को ठीक करने में हल्दी की उपयोगिता को पेटेंट कर दिया।